

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा**  
**वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005**  
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12569 / 5650

दिनांक :- 2-7-2020

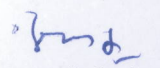
**कार्यालय आदेश**

श्री /श्रीमती / सुश्री अनिता कसोटिया [लिंक न. 12569] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर - [3000160] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 20/11/2017 से 08/12/2017 तक 19 दिवस

**कुल 19 दिवस**

उक्त कुल 19 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री अनिता कसोटिया की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

  
(मुकुन्द सोहोनी)  
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12569 / 5650

दिनांक :- 2-7-2020

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री अनिता कसोटिया [12569] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर
4. निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली

  
(शिल्पी कौशिक)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)